न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 70/19

1. रतन लाल पुत्र स्व0 श्री किशना राम जाति भाट उम्र 51 साल निवासी 69 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–वादी

बनाम

1. खुशदीप कौर पुत्री श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख उम्र 30 साल निवासी नानूवाला (37 एनपी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यार आम दीदार सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख उम्र 32 साल निवासी नानूवाला (37 एनपी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
3. गुड्डी देवी पुत्री स्व0 श्री किशनाराम पत्नी श्री चेतनराम जाति भाट निवासी भाटो का बास, बीकानेर मृतका।

3/1 राकेश राव पुत्र श्री चेतनराम जाति भाट निवासी भाटो का बास बीकानेर

3/2 राजेश राव पुत्र श्री चेतनराम जाति भाट निवासी भाटो का बास बीकानेर

3/3 नीतू पुत्री श्री चेतनराम पत्नी श्री बरतीराम जाति भाट निवासी वार्ड नं. 5 नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. कांता देवी पुत्री किशनाराम पत्नी श्री मुरली जाति भाट निवासी भाटो का बास बीकानेर।
5. राजू देवी पुत्री श्री किशनाराम पत्नी श्री जगदीश जाति भाट निवासी भाटो का बास बीकानेर।
6. सरोज देवी पुत्री श्री किशनाराम पत्नी श्री टेकचन्द जाति भाट निवासी गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. अनु पुत्री श्री किशनाराम पत्नी श्री इन्द्राज जाति भाट निवासी वार्ड नं. 17 करणपुर रोड भाट मौहल्ला पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. सीमा देवी पुत्री श्री किशनाराम पत्नी श्री राजु जाति भाट निवासी वार्ड नं. 9 संजय वाटिका के पास पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53–88–92ए राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री गुरप्रताप सिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री अनिल कड़वासरा वकील अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–26.11.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–92ए राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 69 आरबी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 62/43 में पं.नं. 203/275 मु.नं. 45 के कि.नं. 1 ता 12 प्रत्येक 0.253 है0 13/1 की 0.126 है0 कुल खाता योग 3.162 है0 नहरी खातेदारी में वादी वा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 8 की स्वर्गीय माता/नानी रेशमी देवी पत्नी किशनाराम की 0.126 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि पर वादी वा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 8 के विरास्तन हक हकूक वा खातेदारी अधिकार घोषित किये जावे एवं वाद पत्र की मद नं. 3 क, ख व ग अनुसार पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा व खाता विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे। मुताबिक डिक्री घोषणा बंटवारा व खाता विभाजन लगान कर अलग–अलग मुकर्र करने वा राजस्व अभिलेखों में तदनुसार अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(राजेन्द्र सिंह) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

वाद पत्र दर्ज कर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 ता 8 की ओर से श्री अनिल कड़वासरा अधिवक्ता ने वकालतनामा

Scanned by CamScanner

मय जवाब दावा पेश किया एवं राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा अनुसार वाद डिक्री कर निर्णित किया जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता सं. 62/43 में खुशदीप कौर पुत्री जसपाल सिंह 3.036 है0 कौम जटसिख साकिन नानूवाला एवं रेशमी देवी पत्नी किशनाराम .126 है0 कौम भाट साकिन देह खातेदार के नाम भूमि दर्ज है। पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका है। जो दिनांक 31.07.19 को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा अनुसार चक 69 आरबी के संयुक्त खाता 62/43 के पं. नं. 203/275 के मु.नं. 45 के कि.नं. 1 ता 12 की प्रत्येक 0.253 व कि.नं. 13/1 की 0.126 कुल 3.162है0 नहरी खातेदारी में वादी मिकर रतन लाल व तरतीबी प्रतिवादीगण राकेश राव, राजेशराव, नीतू, कान्तादेवी, राजुदेवी, सरोज देवी, अन्नु, सीमादेवी की स्वर्गीय माता/नानी रेशमी देवी की .126 है0 नहरी खातेदारी भूमि अनुसार किला नं. 5 की 0.025 है0 पूर्वी पासा, कि0न0 6 की 0.025 है0 पूर्वी पासा, 13/1 की 0.076 है0 पूर्वी पासा बाहमी घरेलू बंटवारा में शेष रकबा प्रतिवादिया खुशदीप कौर को कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 12 प्रत्येक .253, कि0न0 5 की 0.228 है पश्चिमी पासा, कि0न0 6 की 0.228 पश्चिमी पासा, 13/1 की 0.050 है0 पश्चिमी पासा कुल 3.036 है0 नहरी बाहमी बंटवारा में प्राप्त होकर जिसके अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलग–अलग किया जाकर लगान अलग–अलग किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बरूवे राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 31.07.19 के अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण राकेश राव, राजेशराव, नीतू, कान्तादेवी, राजुदेवी, सरोज देवी, अन्नु, सीमादेवी की स्वर्गीय माता/नानी रेशमी देवी की .126 है0 नहरी खातेदारी भूमि अनुसार किला नं. 5 की 0.025 है0 पूर्वी पासा, 6 की 0.025 है0 पूर्वी पासा, 13/1 की 0.076 है0 पूर्वी पासा बाहमी घरेलू बंटवारा में शेष रकबा प्रतिवादिया खुशदीप कौर को कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 12 प्रत्येक .253, कि0न05 की 0.228 है, कि0न0 6 की 0.228 पश्चिमी पासा, 13/1 की 0.050 है0 पश्चिमी पासा कुल 3.036 है0 नहरी का बंटवारा किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 16:50:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: